

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नं० ७५॥१७ तारीख रज् ५-११७

उनवान - मुंशरिभ बनाम प्रभू कौं

अन्तर्ग ०१२१३ सपीठ चारा १५।८५८

प्री की ओर से भोज कुमार डार्मी एडवोकेट ने प्रार्थना
अन्तर्ग आदेश १ नियम १३ सपीठ चारा १५।८५८
श किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अद्य लो कन किया गया।
परिभाषा दर्ज रीविस्टर कर अप्रार्थी गिणों को जीरिपे
रिस से तलब कर दिनांक २६-१-१७ को पेश हो।

५६९०-९३


५-११७


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

६-९-१७

प्रार्थी वकील उप०। अर्जी नं० १, २ की ओर से श्री सुरेश
चंद्र शर्मा Adv. ने उपस्थित दर्ज कएई। अर्जी नं०
३, ४ के जोरिस एक पेश कर / दि० ३०-१०-१७ को पेश हो।

अन्तर्ग ०१२१३
श्री ओर से अर्जी नं०
१, २, ३, ४
२६-९-०९


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

१०-११-१७

वकुलाय उप०। अर्जी नं० १, २ का कालतनाया पेश
किया। अर्जी नं० ३, ४ का जोरिस तलब पेश कर।
दि० १३-११-१७ को पेश हो।

१३-११-१७

वकुलाय उप०। तलबी व जबाब हेतु दि० १५-१२-१७ को
पेश हो।

वकुलाय उप०। वान्ति तलबी जवाब दिनांक
२-१-१८ की पेश हो।

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

11-19 वकूलाय उप०। प्रार्थना पत्र 09 R.13 CPC का जबाब पेश किया। जबाब की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाडी।
वालि बरस दिनांक 10.12.19 को पेश हो।
CS

12-19 वकूलाय उप०। वालि बरस दिनांक 7-1-20 को पेश हो।
CS

7-1-20 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी - चुनाव कार्य से
करीबी पधार है। अतः पत्रावली गत दिनांक
दिनांक 11.2.20 को पेश हो।
CS

2-20 वकील अभयस उपस्थित। प्रार्थी वकील ने विवायत पैरवी नहीं होने का कथन का हस्तक्षर किये। यह प्रार्थना पत्र दावा को पुनः सुनवाई पर लिये जो के लिए पेश किया गया है। पत्रावली में शामिल नकल आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण) के समान सही होने पर उनके वकील उपस्थित हुए। जबाब दावा पेश नहीं किये एवं उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। आज भी प्रार्थीगण उपस्थित नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र 09 R.13, 15। जाहा दीवानी अधिनियम में रजिस्ट्र किया जाता है पत्रावली केवल सुमार होकर नया से काम होकर दाखिल दफतर हो।
CS

19th Amendment
Pleader
J.M.

